रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 711] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 21, 2017/श्रावण 30, 1939
No. 711] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 2017/SRAVANA 30, 1939

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2017

**सा.का.नि.1037(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' योधक (साधारण ड्यूटी) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और कमांडेंट पद भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' योधक (साधारण ड्यूटी) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और कमांडेंट पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' योधक (साधारण ड्यूटी) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और कमांडेंट पद भर्ती नियम, 2013 में,–

(क) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

" 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .– पद संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।";

(ख) अनुसूची में ,–

( i ) महानिदेशक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,–

(अ) स्तंभ (4) में स्तंभ के शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

| " वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|
| (4) |
| स्तर – 17 (225000 रु.) " ; |

(आ) स्तंभ (10) के अधीन शीर्षक में "रिक्तियों " के स्थान पर " पदों " शब्द रखा जाएगा;

(ii) अपर महानिदेशक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने स्तंभ (4) के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :–

" स्तर -15 ( 182200 –224100 रु.) ";

(iii) महानिरीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने ,–

(अ) स्तंभ (4) के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :–

" स्तर -14 (144200 –218200 रु.) ";

(आ) स्तंभ (11) में,–

(I) " प्रोन्नति " उपशीर्षक के अधीन ,–

(i) मद (क) में, " वेतन बैंड – 4 ( 37400–67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8900 रु. " शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर " वेतन मैट्रिक्स में स्तर –13क ( 131100–216600 रु.) " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ।

(II) " प्रतिनियुक्ति " उपशीर्षक के अधीन टिप्पण का लोप किया जाएगा।

(iv) उप महानिरीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने,–

(अ) स्तंभ (4) के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :–

" स्तर -13क (131100 –216600 रु.) ";

(आ) स्तंभ (11) में ,–

(I) " प्रोन्नति " उपशीर्षक के अधीन ,–

(i) मद (i) के उपमद (क) में " वेतन बैंड – 4( 37400–67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8700 रु." शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर–13 ( 118500–214100 रु.)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएगें ;

(ii) मद (ii) में, " वेतन बैंड – 4 ( 37400–67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8700 रु. " शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर " वेतन मैट्रिक्स में स्तर–13 ( 118500–214100 रु.)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा ;

(II) " प्रतिनियुक्ति " उपशीर्षक के अधीन के टिप्पण का लोप किया जाएगा।

(v) कमांडेंट के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने ,–

(अ) स्तंभ (4) के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :–

"स्तर–13 (118500–214100 रु.)" ;

(आ) स्तंभ (11) में,–

(I) " प्रोन्नति " उपशीर्षक के अधीन ,–

(i) मद (क) में, " वेतन बैंड – 3 ( 15600–39100 रु.) प्लस ग्रेड वेतन 7600 रु." शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर–12( 78800–209200 रु.) शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ।

(II) " प्रतिनियुक्ति/आमेलन " उपशीर्षक के अधीन टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 17/9/एसएसबी/सीएससी/बटालियन/ समूह 'क'/एसएफएस /2016]

डॉ. आर. के. मित्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण** : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 380(अ), तारीख 18जून, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21 August, 2017.

**G. S. R. 1037(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Sashastra Seema Bal Group 'A' Combatised (General Duty) Director General, Additional Director General, Inspector General, Deputy Inspector General and Commandant posts Recruitment Rules, 2013, namely :-

1. (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal Group 'A' Combatised (General Duty) Director General, Additional Director General, Inspector General, Deputy Inspector General and Commandant posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sashastra Seema Bal Group 'A' Combatised (General Duty) Director General, Additional Director General, Inspector General, Deputy Inspector General and Commandant posts Recruitment Rules, 2013,-

(a) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

"3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules."

(b) in the Schedule,-

(i) against serial number 1 relating to the post of Director General,-

(A) in column (4), for the column heading and entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

| "Level in the pay matrix |
|---|
| (4) |
| Level-17 (Rs.225000/-)"; |

(B) in the heading under column (10), for the word "percentage of the vacancies", the word "percentage of the posts" shall be substituted;

(ii) against serial number 2 relating to the post of Additional Director General, for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely :—

"Level-15 (Rs.182200-224100/-)";

(iii) against serial number 3 relating to the post of Inspector General,-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely :—

"Level-14 (Rs.144200-218200/-)";

(B) in column (11),-

(I) under sub-heading "Promotion",-

(i) In item (a), for the words and figures and letters "Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with grade pay of Rs.8900", the words and figures and letters "Level-13A in the pay matrix (Rs.131100-216600)" shall be substituted;

(ii) Note-2 shall be omitted.

(II) under sub-heading "Deputation", Note shall be omitted.

(iv) against serial number 4 relating to the post of Deputy Inspector General,-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely :-

"Level-13A (Rs.131100-216600)";

(B) in column (11),-

(I) under sub-heading "Promotion",-

(i) in item (i) sub-item (a), for the words and figures and letters "Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with grade pay of Rs.8700", the words and figures and letters "Level-13 in the pay matrix (Rs.118500-214100)" shall be substituted;

(ii) in item (ii), for the words and figures and letters "Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with grade pay of Rs.8700", the words and figures and letters "Level-13 in the pay matrix (Rs.118500-214100)" shall be substituted;

(iii) Note-3 shall be omitted.

(II) under sub-heading "Deputation", Note shall be omitted.

(v) against serial number 5 relating to the post of Commandant,-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely :-

"Level-13 (Rs.118500-214100)";

(B) in column (11),-

(I) under sub-heading "Promotion",-

(i) in item (a), for the words and figures and letters "Pay Band-3 (Rs.15600-39100) plus grade pay of Rs.7600", the words and figures and letters "Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200)" shall be substituted;

(ii) Note-2 shall be omitted.

(II) under sub-heading "Deputation/absorption", Note-3 shall be omitted.

[F. No. 17/9/SSB/CSC/Bn./Gp 'A'/SFS/2016]

Dr. R.K. MITRA, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 380 (E), dated the 18th June, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.08.22 16:11:06 +05'30'